प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) का कार्यालय, मणिपुर, इम्फ़ाल - 795001



OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), MANIPUR, IMPHAL - 795001

सं/No.Estt(A&E)/Deputation/In/2024-25/ 1184

दिनांक/Date: 11-12-2024

सेवा में,

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के सभी विभागीय प्रमुख The Head of Department in all offices of IA&AD (As per mailing list)

विषयः प्रधान महालेखाकर (ले. व ह.), मणिपुर के कार्यालय में विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में।

**Subject:** Filling up of various posts in the Office of Principal Accountant General (A&E), Manipur on deputation basis.

महोदया / Madam/महोदय/Sir,

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन संख्या 2/6/2016-Estt. (Pay-II) दिनांक 17/02/2016 एवं ज्ञापन संख्या 6/8/2009-Estt. (Pay II) दिनांक 17/06/2010 में निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर इस संबंध में जारी अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार इस कार्यालय में निम्नलिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

Applications are hereby invited for appointment to the following posts on deputation basis in this office on the terms and conditions laid down in DoPT O.M. No. 2/6/2016-Estt. (Pay-II) dated 17/02/2016 read with DoPT O.M. No. 6/8/2009-Estt. (Pay II) dated 17/06/2010 as well as other guidelines issued in this regard from time to time.

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:-

The eligibility criteria for appointment to the said post are as under:-

पात्रता मापदंड/ Eligibility
नेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कैडर नियंत्रण
तहत वे अधिकारी जो वेतन बैंड -2, वेतनमान
00 और ग्रेड वेतन ₹ 4800/- में सहायक लेखा
सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के समान पद
थ ही वे अधिकारी जिनहे NFU प्रदान किया
ज्ञान रखने वाले अधिकारियों को प्राथमिकता दी

1

Accounts Officer		Officers under the Cadre Controlling Authority in the Indian Audit and Accounts Department holding analogous posts of Assistant Accounts Officer or Assistant Audit Officer in Pay Band -2, Pay Scale of ₹ 9300- 34800 with Grade Pay of ₹ 4800/- (alongwith officers who have been granted NFU) Preference will be given to officers having knowledge of Accounts.
सहायक पर्यवेक्षक/Assistant Supervisor	1	आवेदकों को मूल कार्यालय में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर होना चाहिए। Applicants should be holding analogous post on regular basis in the parent office.
वरिष्ठ लेखाकार/ Senior Accountant	3	आवेदकों को मूल कार्यालय में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर होना चाहिए। Applicants should be holding analogous post on regular basis in the parent office.
लेखाकार/ Accountant	11	आवेदकों को मूल कार्यालय में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर होना चाहिए। Applicants should be holding analogous post on regular basis in the parent office.

प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के प्रदर्शन और 3. नियमानुसार रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

The period of deputation shall initially be for one year, further extendable on yearly basis, subject to satisfactory performance of the Official and availability of vacancy as per rule.

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम 4. तिथि को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 (fifty-six) years as on the closing date of receipt of applications.

इस संबंध में, अनुरोध है कि कृपया इच्छुक पात्र अधिकारियों के नामों की अनुशंसा करें 5. प्रतिनियुक्ति के आधार पर संबंधित पदों पर उनके चयन की स्थिति में उन्हें तुरंत कार्यमुक्त किया जाए। इस परिपत्र के जारी होने के 30 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के साथ सिफारिशें इस कार्यालय को भेजी जाएँ।

In this regard, it is requested to kindly recommend the names of eligible officials who are willing and can be spared immediately in the event of their selection to the respective posts on deputation basis. The recommendations accompanied with the following documents/certificates may kindly be forwarded to this office within 30 days of issue of this circular.

- i. आवेदक का विधिवत भरा हुआ और कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित बायोडाटा / Bio-data of the applicant duly filled in and attested by the Head of Office,
- ii. प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत सत्यापित पिछले 5 वर्षों की पूर्ण और अद्यतन एसीआर/एपीएआर की फोटोकॉपी / Photocopies of complete and up to date ACR/APARs for the last 5 years duly attested on each page and
- iii. सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र/सतर्कता-निकासी प्रमाणपत्र / Integrity Certificate/ Vigilance Clearance Certificate.

इसे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हुकदारी), मणिपुर के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Principal Accountant General (A&E), Manipur.

> भवदीय, Digitally signed by Robert Moirangthem ਜੀਵੇte:ਤੁੱਧੀ- ਸਿੰਦ(ਸ਼ਿੰਦੀ):10 Sr. Deputy Accountant General